# रेल अधिनियम, 1989

# THE RAILWAYS ACT, 1989

# (R.A.)

**नोट :-** (1) नया "रेल अधिनियम, 1989" 01 जुलाई 1990 से लागू हुआ।

(2) इससे पूर्व का "भारतीय रेल अधिनियम, 1890" था जो रद्द कर दिया गया।

(3) रे.सु.बल को अधिक जिम्मेदारी देते हुए इस एक्ट में 2003 में संशोधन किया गया जिसका नाम "रेल (द्वितिय संशोधन)अधिनियम, 2003" रखा गया जो 01 जुलाई 2004 से लागू हुआ।

(4) तत्पश्चात उक्त एक्ट में कुछ धाराओं में 2005 में संशोधन किया गया एवं 30 अगस्त 2006 से लागू हुआ।

(5) अब "रेल अधिनियम, 1989" मूल अधिनियम (Principal Act) कहा जायेगा।

**धारा -1: संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :-**

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम "रेल अधिनियम, 1989" है।

(2) यह उस तारीख से लागू होगा जब केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें:

परंतु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी, और ऐसे किसी उपबन्ध में इस अधिनियम के प्रारम्भ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है।

**धारा -2: परिभाषाएँ :-**

**(1)"प्राधिकृत"(*Authorised*)-** इससे अर्थ है, रेल प्रशासन द्वारा अधिकृत;

**(8)"परेषिती" (*Consignee*):-** इससे अर्थ है, रेल रसीद में परेषिती (माल प्राप्त करनेवाला) के रूप में नामित व्यक्ति;

**(9) "परेषण" (*Consignment/माल*):-** इससे अर्थ है, रेल प्रशासन को वहन के लए सौंपा गया माल;

**(10)"परेषक" (प्रेषक/*Consignor/माल भेजने वाला*):-** इससे अर्थ है, किसी रेल सरीद में परेषक के रूप में नामित वह व्यक्ति, जिसके द्वारा या जिसकी और से रेल रसीद के अन्तर्गत आने वाला माल रेल प्रशासन को वहन के लिए सौंपा जाता है;

**(11) "विलम्ब शुल्क " (सीमा शुल्क/*Demurrage*/डेमरेज) :-** इससे अर्थ है, किसी चल स्टाक के निरोध(रोके रखने) के लिए निर्धारित समय की छूट की, यदि कोई हो, समाप्ति के पश्चात् ऐसे निरोध के (रोके रखने के) लिए उद्गृहित(देय/payable) प्रभार;

**(12) "पृष्ठांकिती" (*Endorsee*) :-** का अर्थ है, ऐसा व्यक्ति, जिसके पक्ष में पृष्ठांकन किया जाता है और उत्तरोतर (उसके पश्चात) पृष्ठांकनों की दशा में वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पक्ष में अंतिम पृष्ठांकन किया जाता है ;

**(13) "पृष्ठांकन" (*Endorsement*) :-** का अर्थ है, किसी रेल रसीद पर परेषिती या पृष्ठांकिती द्वारा यह निर्देश जोड़ने के पश्चात हस्ताक्षर करना अभिप्रेत है, कि ऐसी रसीद में वर्णित माल में की सम्पत्ति किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति को संक्रांत की जाए(सौंप दी जाए);

**(16) "प्रेषण टिप्पण" (*Forwarding note*):-** का अर्थ है, धारा 64 के अधीन निष्पादत दस्तावेज;

**(17) "माल-भाड़ा" (*Freight*):-** का अर्थ है, माल के वहन के लिए उद्गृहित प्रभार, जिसके अन्तर्गत पोतान्तरण प्रभार भी है;

**(19) "माल" (Goods):-** माल के अन्तर्गत निम्नलिखित है-

- **(i)** माल को सकेकित करने के लए प्रयुक्त आधान पट्टिका या परिवहन की वैसी ही वस्तुएं ; और
- **(ii)** पशु ;

**(22)"समपार"(समतल क्रासिंग-*level Crossing*) -** का अर्थ है, सडक और रेल लाइनो का उसी स्तर पर समतल क्रास होना;

**(23) "सामान" (*Luggage*) :-** का अर्थ, यात्री का वह माल जो उसके द्वारा या तो अपने भारसाधन मे(अपने साथ) ले जाया जाता है या रेल प्रशासन को वहन के लिए सौंपाजाता है ;

**(26) "अधिसूचना" (*Notification*):-** का अर्थ है, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना;

***[(26-A) "प्राधिकृत अधिकारी" (*Officer authorised*) -** इससे मतलब वह अधिकारी, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा-179(2) में अधिकृत किया गया है।]
(**नोट**:रे.सु.ब. के स.उप निरी. व उससे उपर के रेन्क के अधिकारी एवं कामर्शियल, विजिलन्स एवं ओपरेटिंग विभाग के "सी" ग्रेड के कर्मचारी एवं उससे उपर के अधिकारी प्राधिकृत अधिकारी घोषित किये गये है;)
*[संशोधन-2003 के अधि. सं. 51 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित (दि. 01-7-2004 से प्रभावी]

**(27) "पार्सल" (*Parcel*) -** इसका अर्थ है, किसी यात्री या पार्सल गाड़ी द्वारा वहन के लिए रेल प्रशासन को सौंपा गया माल ;

**(28) "पास" (*Pass*)-** इसका अर्थ है, केन्द्रीय सरकार या किसी रेल प्रशासन द्वारा दिया गया वह प्राधिकार जिससे वह व्यक्ति यात्री के रुप में यात्रा कर सकता है, परंतु इसमें टिकट शामिल नहीं है ;

**(29) "यात्री" (*Passenger*) -** इसका अर्थ है, किसी विधिमान पास या टिकट से यात्रा करने वाला व्यक्ति;

**(33) "रेल रसीद" (*Railway receipt*) :-** का अर्थ इस एक्ट की धारा 65 के अधीन जारी की गई रसीद ;

**(34) "रेल सेवक" (*Railway servant*) :-** इससे मतलब, ऐसा व्यक्ति जो रेल सेवा के सम्बन्ध में, रेल प्रशासन द्वारा या केन्द्रीय सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया हो और ***[**जिसमें रे.सु.बल अधिनियम-1957 की धारा-2(1)(c) के अन्तर्गत नियुक्त किये गये बल सदस्य को शामिल किया गया है ;**]**

***[**संशोधन-2003 के अधि. सं. 51 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित (दि. 01-7-2004 से प्रभावी**]**

**(37) "चल स्टाक" (*Rolling stock*) :-** से मतलब, रेल पर चलने वाले इंजन, टेंकर, सवारी डिब्बे, वैगन, रेलकारें, आधान, ट्रक, ट्रालियां और सभी प्रकार के यान ;

**(39) "यातायात" (*Traffic*) :-** के अन्तर्गत हर वर्णन का चल स्टाक तथा यात्री और माल भी है ;

**(41) "स्थान भाड़ा"/वारफेज/(Wharfage-स्थान शुल्क) :-** से मतलब, वे प्रभार अभिप्रेत है जो माल को रेल से हटाने की समय छूट की समाप्ति के पश्चात् उे न हटाने के लिए माल पर उद्ग्रहित किया जाता है;

**धारा- 54 : पासों और टिकटों का प्रदर्शन और अभ्यर्पण :-**

प्रत्येक यात्री इस निमित्त(कार्य हेतु नियुक्त) प्राधिकृत किसी रेल सेवक द्वारा मांग की जाने पर अपना पास या टिकट ऐसे रेल सेवक को यात्रा के दौरान अथवा यात्रा की समाप्ति पर, परीक्षा के लिए (मांगने पर)प्रस्तुत करेगा और ऐसा टिकट -

(a) यात्रा की समाप्ति पर, या

(b) यदि ऐसा टिकट किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए जारी किया गया है तो ऐसी अवधि की समाप्ति पर, अभ्यर्पित(जमा) करेगा।

**धारा- 55 : पास या टिकट के बिना यात्रा करने का प्रतिबन्ध :-**

(1) काइ भी व्यक्ति रेल के किसी सवारी डिब्बे में, जब तक कि उसके पास उचित पास या टिकट न हो या उसने ऐसी यात्रा के लिए इस निमित्त प्राधिकृत किसी रेल सेवक की अनुज्ञा अभिप्राप्त न कर ली हो, यात्री के रुप में यात्रा करने के प्रयोजन से न तो प्रवेश करेगा और न उसमें रहेगा।

(2) उपधारा(1) के अधीन अनुज्ञा प्राप्त करने वाला व्यक्ति उस उपधारा में निर्दिष्ट रेल सेवक से सामान्यतया यह प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगा कि उसे ऐसे सवारी डिब्बे में यात्रा करने के लिए इस शर्त पर अनुज्ञा(अनुमती) दी गई है कि वह उस दूरी के लिए जिस तक यात्राा की जानी है, देय किराया बाद में देगा।

**धारा- 56 : संक्रामक या सांसर्गिक से पीड़ित व्यक्तियों का वहन करने से इन्कार करने की शक्ति :-**

(1) ऐसे संक्रामक या सांसर्गिक रोगों से, जो विहित किए जाएं, पीड़ित कोई व्यक्ति, इस निमित्त प्राधिकृत रेल सेवक की अनुज्ञा के बिना रेल के किसी सवारी डिब्बे में प्रवेश नहीं करेगा या उमें नहीं रहेगा या रेलगाड़ी में यात्रा नहीं करेगा।

(2) उपधारा (1) की अनुज्ञा देने वाला सेवक ऐसे रोग से पीड़ित व्यक्ति को, उन अन्य व्यक्तियों से जो रेल में हों, अलग करने के लिए प्रबन्ध करेगा और ऐसे व्यक्ति का रेलगाड़ी में वहन ऐसी अन्य शर्तों के अधीन रहते हुए कया जाएगा जो विहित की जाएं।

(3) कोई व्यक्ति जो उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित अनुज्ञा के बिना या उपधारा (2) के अधीन विहित किसी शर्त के उल्लंघन में किसी सवारी डिब्बे में प्रवेश करेगा या उसमें रहेगा या रेलगाड़ी में यात्रा करेगा तो उस व्यक्ति और उसके साथ यात्रा करने वाले व्यक्ति के पास या टिकटे किसी रेल सेवक द्वारा जब्त किए जाने के दायित्वाधीन होंगे और वे रेलगाड़ी से हटा दिए जाने के दायित्वाधीन होंगे।

**धारा- 57 : प्रत्येक कक्ष के लिए यात्रियों की अधिकतम संख्या :-**

केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के अधीन रहते हुए, प्रत्येक रेल प्रशासन यात्रियों की ऐसे अधिकतम संख्या नियत करेगा जो हर भांति के सवारी डिब्बे के प्रत्येक कक्ष में वहन किए जा सकेंगे और ऐसी नियत की गई संख्या को प्रत्येक कक्ष के अन्दर या बाहर हिन्दी और अंग्रजी में और उन क्षेत्रों में, जिनमें से होकर रेल जाती है, सामान्य प्रयोग की प्रादेशिक भाषाओं में से एक या अधिक में भी, सहजदृश्य (सामान्य रूप से दिखाई दे)रीति से प्रदर्शित करेगा।

**धारा- 58 : महिलाओं के लिए कक्ष आदि निश्चित करना :-**

प्रत्येक रेल प्रशासन, यात्रियों का वहन करने वाली प्रत्येक रेलगाड़ी में, एक कक्ष या इतनी संख्या में शायिकाएं(बर्थ) अथवा सीटें(बैठने) जितनी रेल प्रशासन उचित समझे, महिलाओं के अनन्य उपयोग के लिए निश्चित करेगा।

**धारा- 59 : यात्रियों और रेल गाडियों के भारसाधक रेल सेवकों के बिच संचार :-**

रेल प्रशासन यात्रियों का वहन करने वाली प्रत्येक रेलगाड़ी में यात्रियों और रेलगाड़ी के भारसाधक रेल सेवक के बीच संचार के ऐसे दक्ष(निपुण) साधनों की व्यवस्था और उनका अनुरक्षण करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किए जाएं :

परन्तु जहाँ रेल प्रशासन का यह समाधान हो जाता है किसी रेलगाड़ी में उपबन्धित संचार साधनो का दुरूपयोग किया जा रहा है वहाँ उस रेलगाड़ी में ऐसे संचार साधनों को ऐसी अवधि या अवधियों के लिए जो वह ठीक समझें, बंद करा सकेगाः

परन्तु यह और कि केन्द्रीय सरकार उन परिस्थितियों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिनके अधीन रेल प्रशासन को किसी रेलगाड़ी में ऐसे संचार साधनों की व्यवस्था करने से छूट दी जा सकती है।

**धारा- 61 : माल के वहन के लए रेट पुस्तकें आदि रखना :-**

प्रत्येक रेल प्रशासन स्टेशन और ऐसे अन्य स्थानों पर, जहाँ माल वहन के लिए प्राप्त किया जाता है, रेट पुस्तकें या अन्य दस्तावेज जिनमें एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक माल के वहन के लिए प्राधिकृत रेट होंगे, रखेगा और कोई फीस दिये बिना सभी युक्तियुक्त समय के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा देखे जाने के लिए उसे उपलब्ध कराएगा।

**धारा- 62 : माल के प्राप्त करने आदि के लिए शर्तें :-**

(1) रेल प्रशासन किसी माल के प्राप्त करने, अग्रेषित करने, वहन करने या परिदत्त(डिलिवरी) करने के सम्बन्ध में ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगा जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए कन्हीं नियमों से असंगत न हो।

(2) रेल प्रशासन प्रत्येक स्टेशन पर और ऐसे अन्य स्थानों पर जहाँ माल वहन के लिए प्राप्त किया जाता है, उपधारा (1) के अधीन उस समय प्रवृत्त शर्तों की एक प्रति रखेगा और उसे कोई फीस दिये बिना सभी युक्तियुक्त समय के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा देखे जाने के लिए उसे उपलब्ध कराएगा।

**धारा- 63 : जोखिम रेटों का उपबंध :-**

(1) जहां रेल प्रशासन को वहन के लिए कोई माल सौंपाा जाता है वहां ऐसा वहन उस दशा के सिवाय जिसमें ऐसे माल के संबंध में स्वामी-जोखिम रेट लागू है, रेल-जोखिम रेट पर किया जाएगा।

(2) कोई माल जिसके लिए स्वामी-जोखिम रेट और रेल-जोखिम रेट प्रवृत्त है, किसी भी एक रेट पर वहन के लिए, सौंपा जा सकेगा और यदि किसी रेट का विकल्प नहीं किया जाता है तो वह माल स्वामी-जोखिम रेट पर समझा जाएगा।

**धारा- 64 : प्रेषण टिप्पण (*Forwarding Note*) :-**

(1) रेल प्रशासन को वहन के लिए माल सौंपने वाला प्रत्येक व्यक्ति ऐसे प्रारूप में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रेषण टिप्पण निष्पादित करेगा :

परन्तु कोई प्रेषण टिप्पण ऐसे माल की दशा में निष्पादित नहीं किया जाएगा जो विहित किया जाए।

(2) परेषक, प्रेषण टिप्पण में उसके द्वारा दी गई विशिष्टियों की शुद्धता के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) परेषक प्रेषण टिप्पण में दी गई विशिष्टियों की अशुद्धता या अपूर्णता के कारण रेल प्रशासन को हुए किसी नुकसान के लिए रेल प्रशासन की क्षतिपूर्ति करेगा।

**धारा- 65 : रेल रसीद (*Railway Receipt*):-**

(1) रेल प्रशासन-

(a) उस दशा में जहां माल की ऐसा माल सौंपने वाले व्यक्ति द्वारा लदाई की जानी है, ऐसी लदाई के पूरा हो जाने पर; और

(b) किसी अन्य दशा में, उसके द्वारा माल के स्वीकार कर लिए जाने पर, ऐसे रूप में रेल रसीद जारी करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए।

(2) रेल रसीद उसमें उल्लेखित वजन और पैकेटों की संख्या का प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य होगी :

परन्तु यदि परेषण वैगन-भार या रेलगाड़ी-भार में हैं और वजन की या पैकेटों की संख्या की जांच उस रेल सेवक द्वारा रेल रसीद में इस आशय या कथन अभिलिखित कर दिया जाता है, तो यथास्थिति, उसमें उल्लेखित वजन को या पैकेटों की संख्या को साबित करने का भार परेषक(माल भेजने वाला), परेषिति(माल प्राप्त करने वाला) या पृष्ठांकिती(जिसके पक्ष में माल की डिलिवरी देना है) पर होगा।

**धारा- 74 : रेल रसीद के अन्तर्गत आने वाले माल में संम्पत्ति का संक्रांत होना :-**

**(Passing of Property in the goods covered by railway receipt) :-**

रेल रसीद के अन्तर्गत आने वाले परेषण(माल) में सम्पत्ति, यथास्थिति, परेषिती या पृष्ठांकिती को, ऐसी रेल रसीद का उसको परिदान कर दिए जाने पर, संक्रांत हो जाएगी (अपने आप उसकी हो जाएगी) और उसे परेषक के सभी अधिकार और दायित्व प्राप्त होंगे।

**धारा- 76 : रेल रसीद का अभ्यर्पण (Surrender of Railway Receipt) :-**

रेल प्रशासन रसीद के अधीन परेषण का परिदान (डिलिवरी) ऐसी रेल रसीद के अभ्यर्पण पर करेगा :

परन्तु यदि रेल रसीद प्राप्त नहीं हो रही है तो परेषण(माल) उस व्यक्ति को जो रेल प्रशासन की राय में माल प्राप्त करने का हकदार है, ऐसी रीति से, जा विहित की जाएं, परिदत्त किया(सौंपा) जा सकेगा।

**धारा- 80 : माल की गलत सुपुर्दगी(डिलिवरी) के लिए रेल प्रशासन की जिम्मेदारी (दायित्व) :-**

जहां रेल प्रशासन उस व्यक्ति को परेषण का परिदान(सुपुर्दगी) करता ाहै जो रेल रसीद प्रस्तुत करता है, वहां वह इस आधार पर गलत सुपुर्दगी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा कि ऐसा व्यक्ति उसका हकदार नहीं है या रेल रसीद पर पृष्ठांकन(अंकित) कूटकृत(जाली) है या अन्यथा त्रृटिपूर्ण(कमी/खामी) है।

**धारा- 81 : माल की खुली सुपुर्दगी(डिलिवरी) :-**

जहां कोई परेषण(भेजा जाने वाला माल) नुकशानग्रस्त हालत में पहुंचता है या उसमें गड़बड़ किए जाने के चिन्ह दिखाई देते है और परेषिति या पृष्ठांकिति उसमें खुली सुपुर्दगी की मांग करता है, वहां रेल प्रशासन ऐसी रीति में जो विहित की जाए, माल की खुली सुपुर्दगी देगा।

**धारा- 82 : माल की आंशिक(भागतः) सुपुर्दगी(डिलिवरी):-**

(1) परेषिति या पृष्ठांकिति, परिदान के लिए परेषण या उसके भाग के तैयार होते ही, ऐसे परेषण या उसके भाग का परिदान इस बात के होते हुए भी लेगा कि ऐसे परेषण या उसके भाग को नुकशासन पहुंचा है।

(2) उपधारा(1) के अधीन आंशिक सुपुर्दगी की दशा में, रेल प्रशासन आंशिक सुपुर्दगी प्रमाण-पत्र ऐसे प्रारूप में देगा, जो निर्धारित किया गया हो।

(3) यदि परेषिति या पृष्ठांकिति उपधारा (1) के अधीन सुपुर्दगी लेने से इन्कार कर देता है तो परेषण या उसका भाग, हटाए जाने के लिए निर्धारित समय से आगे के लिए स्थान-भाडा वसूल किया जाएगा।

**धारा-123 : अनपेक्षित घटना (Untoward Incident)परिभाषा- Rly.Act:-**

**(C) : (1)** यात्रियों को ले जाती हुई किसी रेलगाडी पर या उसके प्रतीक्षालय, अमानती सामान घर या आरक्षण अथवा टिकट घर या प्लेटफार्म या रेलवे स्टेशन के परिसर के भीतर किसी अन्य स्थल में की गयी कोई **"अनपेक्षित घटना"** (कष्टकारी घटना/Untoward incident) का तात्पर्य है-

(i) आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1987 की धारा-4(1) के अन्तर्गत कोई आतंकवादी कार्य करना, या

(ii) हिंसात्मक आक्रमण का प्रदर्शन या लूटपाट या डकैती करना, या

(iii) बलवा, गोली चलाकर मार देना या आगजनी की वारदात, अथवा

**(2)** यात्रियों को ले जाती हुई रेलगाडी से किसी यात्री का घटनास्वरुप गिर पड़ना।

**धारा-124-A : किसी"अनपेक्षित घटना" के कारण नुकसानी का भुगतान :-**

रेलवे क्रियाकलाप के दौरान जब कोई अनपेक्षित घटना घटित होती है, तब यदि रेलवे प्रशासन द्वारा उसके पहले या उसके बाद कोई दोषपूर्ण कार्य, उपेक्षा या चूक हो जाने की दशा में किसी यात्री या उसके किसी आश्रित को यदि कोई चोट पहुंचे या मृत्यु हो जाए तो ऐसी दशा में किसी कार्यवाही के किए जाने तथा नुकसानी की क्षतिपूर्ति के बारे में किसी भी कानून में कोई प्रतिकूल बात के होते हुए भी, उस अनपेक्षित घटना के परिणामस्वरुप, उस परिणाम तक जैसा कि किसी यात्री की केवल ऐसी मृत्यु हो जाने से या चोट पहुंच जाने के कारण जब ऐसे नुकसानी का भुगतान किया जाना अपेक्षित है, रेलवे प्रशासन उसका भुगतान करेगाः

परंतु प्रतिबन्ध यह इस धारा के अन्तर्गत जब कोई यात्री की मृत्यु हो जाती है या उसे चोट पहुंच जाती है तो रेलवे प्रशासन निम्न दशाओं में कोई क्षतिपूर्ति नहीं करेगा-

(A) जब उसने स्वतः आत्महत्या की हो या आत्महत्या करने का प्रयास किया हो,

(B) जब उसने स्वतः अपने को चोट पहुंचायी हो,

(C) जब उसने स्वयं कोई दाण्डिक कार्य किया हो,

(D) जब उसने पागलपन या नशे की हालत में कोई गलत कार्य किया हो,

(E) जब उसे कोई प्राकृतिक हेतुक रोग अथवा भेषजिक या शल्य क्रिया की, जब तक कि उसका उपचार किसी अनपेक्षित घटना के कारण आवश्यक न समझा जाए, बाबत।

**स्पष्टीकरण :- "यात्री"** शब्द के अन्तर्गत इस धारा के प्रयोजन के लिये निम्न व्यक्ति समझे जायेंगे :

**(i)** अपना पदीय कार्य करते समय रेलवे कर्मचारीगण ;

**(ii)** वे व्यक्ति जिन्होंने किसी तिथि पर वैध प्लेटफार्म टिकट या यात्रा कराने के लिए वैध टिकट खरीदा हो, और वह ऐसी अपेक्षित घटना का ग्रसित व्यक्ति हो।

# अपराध और दण्ड

**धारा-137 : उचित पास या टिकट के बिना कपटपूर्वक यात्रा करना या यात्रा करने का प्रयत्न करना :-**

(1) यदि कोई व्यक्ति रेल प्रशासन को धोखा देने के इरादे से,-

(a) धारा 55 के उल्लंघन में रेल के किसी सवारी डिब्बे में प्रवेश करेगा या उसमें रहेगा अथवा किसी रेलगाड़ी में यात्रा करेगा ; या

(b) ऐसे किसी एक तरफा पास या एक तरफा टिकट को जो पूर्वतन यात्रा मे पहले ही उपयोग में लाया जा चुका है या वापसी टिकट की दशा में उसके आधे को, जो पहले ही ऐसे उपयोग में लाया जा चुका है, उपयोग में लाएगा या उपयोग में लाने का प्रयत्न करेगा,

- तो वह छह माह तक के कारावास से, या एक हजार रूपये तक के जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा :

परन्तु तत्प्रतिकूल विशेष और पर्याप्त कारणों के अभाव में जो, न्यायालय के निर्णय में वर्णित किये जाएंगे, ऐसा दण्ड पांच सौ रूपये के जुर्माने से कम नहीं होगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति, उस दूरी के लिए जिस तक वह यात्रा कर चुका है एक तरफ के साधारण किराए के या जहाँ उस स्टेशन के बारे में जहाँ से वह चला था, कोई संदेह है वहाँ उस स्टेशन से जहाँ से रेलगाड़ी आरम्भ होकार चली थी, एक तरफ के साधाराण किराए के या यदि रेलगाड़ी में यात्रा करने वाले यात्रियों के टिकटों की रेलगाड़ी के आरम्भ होकर चलने के पश्चात् परीक्षा की जा चुकी है तो उस स्थान से, जहाँ टिकटों की इस प्रकार परीक्षा की गई थी, या उस दशा में जिसमें उनकी एक से अधिक बार परीक्षा की गई है उस स्थान से, जहाँ उनकी अन्तिम बार परीक्षा की गई थी, एक तरफ के साधाराण किराए के अतिरिक्त उपधारा (3) में वर्णित अधिक प्रभार देने के लिए भी दायी होगा।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट अधिक प्रभार, उस उपधारा में निर्दिष्ट एक तरफ के साधारण किराए के बराबर राशि या ***[दो सौ पचास रूपये]** दोनों में से जो भी अधिक हो, होगा।

(4) IPC की धारा 65 में किसी बात के होते हुए भी, अपराधी को सिद्धदोष ठहराने वाला न्यायालय यह निर्देश दे सकेगा कि न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माने के संदाय(अदायगी) में व्यतिक्रम करने वाला(असफल रहने वाला) व्यक्ति ऐसी अवधि का, जो छह माह तक की हो सकेगी, कारावास भोगेगा।

(**नोट:-**अधिकतम चार्ज वसूल किया जाएगा जो 250/-रुपये से कम का न होगा।)

**दण्ड :-** छह माह तक का कारावास या 1000/- रुपये तक का जुर्माना(जो 500/- रुपये से कम का न होगा) या दोनों दण्ड।

*[संशोधन अधि. सं.56-2003 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित (दि.01-7-2004 से प्रभावी।]

**धारा-138 : उचित पास या टिकट के बिना या अपर्याप्त पास या टिकट से या निर्धारित दूरी से आगे यात्रा करने पर, मांगने पर अधिक प्रभार और किराए का उद्ग्रहण (अधिक प्रभार वसूलना)।**

(1) यदि कोई यात्री-

(a) किसी रेलगाड़ी में होते हुए या उससे उतरने पर अपना पास या टिकट धारा 54 के अधीन उसके लिए कोई मांग की जाने पर परीक्षा या परिदान के लिए तुरन्त पेश नहीं करेगा या करने से इन्कार करेगा, या

(b) धारा 55 के उपबन्धों के उल्लंघन में रेलगाड़ी से यात्रा करेगा,

- तो वह इस निमित्त प्राधिकृत किसी रेल सेवक द्वारा मांग की जाने पर, उस दूरी के लिए जिस तक वह यात्रा कर चुका है, एक तरफ के साधाराण किराए के, या जहाँ उस स्टेशन के बारे में जहाँ से चला था कोई सन्देह है वह उस स्टेशन से, जहाँ रेलगाड़ी आरम्भ होकर चली थी एक तरफ के साधारण किराए के, या यदि रेलगाड़ी में यात्रा करने वाले यात्रियों के टिकटों की, रेलगाड़ी के आरम्भ होकर चलने के पश्चात् परीक्षा की जा चुकी है तो उस स्थान से जहाँ टिकटों की इस प्रकार परीक्षा की गई थी या उस दशा में उनकी एक से अधिक बार परीक्षा की गई है, उस स्थान से जहाँ उनकी अन्तिम बार परीक्षा की गई थी, एक तरफ के साधारण किराए के अतिरिक्त उपधारा(3) में वर्णित अधिक प्रभार देने के लिए दायी(जिम्मेदार) होगा।

(2) यदि कोई यात्री-

(a) ऐसे सवारी डिब्बे में या पर, या ऐसे रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करेगा या यात्रा करने का प्रयत्न करेगा, जो उस श्रेणी से, जिसके लिए उसने पास अभिप्राप्त किया है पर या टिकट खरीदा है, उच्चतर श्रेणी का है ; या

(b) किसी सवारी डिब्बे में या पर, अपने ऐसे पास या टिकट द्वारा प्राधिकृत स्थान से आगे, यात्रा करेगा,

- तो वह इस निमित्त प्राधिकृत किसी रेल सेवक द्वारा मांग की जाने पर, उसके द्वारा दिए गए किराए और उसके द्वारा की गई यात्रा के सम्बन्ध में संदेय(दिए गए) किराए के बीच के अन्तर और उपधारा (3) में निर्दिष्ट अधिक प्रभार के संदाय (भुगतान) के लिए दायी(जिम्मेदार) होगा।

(3) ऐसा अधिक प्रभार यथास्थिति उपधारा (1) या (2) के अधीन संदेय (दिये गए) रकम के बाराबर राशि या ***[ दो सौ पचास रूपये],** दोनों में से जो अधिक हो, होगा :

परन्तु यदि ऐसे यात्री के पास धारा 55 की उपधारा (2) के अधीन अनुदत्त प्रमाणपत्र है तो कोई अधिक प्रभार संदेय नहीं होगा।

(4) यदि उपधारा (1)में वर्णित अधिक प्रभार और किराया, या उपधारा (2) में वर्णित अधिक प्रभार का कोई अन्तर देने के दायित्वधीन कोई यात्री इन उपधाराओं में से किसी के अधीन उसकी मांग की जाने पर, उसे नहीं देता है या देने से इन्कार करता है तो इस निमित्त रेल प्रशासन द्वारा प्राधिकृत कोई रेल सेवक ऐसी संदेय राशि की वसूली के लिए, यथास्थिति, किसी महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम अथवा द्वितिय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकेगा मानो वह जुर्माना हो और यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है किं वह राशि संदेश है तो वह उसे इस प्रकार वसूल कए जाने का आदेश देगा और यह आदेश भी दे सकेगा कि उसके संदाय के लिए दायी व्यक्ति संदाय न करने पर दोनों में से किसी भी प्रकार का एक माह तक का कारावास जो दस दिन से कम का न होगा, भोगेगा।

(5) उपधारा (4) के अधीन वसूल की गई कोई राशि वसूल की जाते ही रेल प्रशासन को संदत्त (सुपूर्द) की जाएगी।

(**नोट:-**अधिकतम चार्ज वसूल किया जाएगा जो 250/-रुपये से कम का न होगा।)

**दण्ड :-** चार्ज या चार्ज न भरने पर एक माह का कारावास जो 10 दिन से कम का न होगा।
*[संशोधन अधि. सं.56-2003 की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित (दि.01-7-2004 से प्रभावी।]

**धारा-139 : व्यक्तियों को हटाने की शक्ति (Power to remove persons):-**

धरा 138 के अन्तर्गत मांगे गये अतिरिक्त चार्ज देने से इन्कार करे या देने में असफल रहे तो उस व्यक्ति को, इस कार्य हेतु तैनान रेल सेवक द्वारा सवारी डिब्बे से हटाया जा सकेगा जो उसे हटाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को अपनी सहायता के लिएए बुला सकेगा :

परन्तु यदि इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि वह उच्चतर श्रेणी के सवारी डिब्बे से हटाए गए व्यक्ति को उस श्रेणी के सवारी डिब्बे में, जिसके लिए पास या टिकट उसके पास है, अपनी यात्रा जारी रखने से प्रवारित करती है :

परन्तु यदि वह स्त्री या बच्चा है, और उसके साथ कोई सह पुरुष यात्री नहीं है, तो उसे प्रारम्भिक स्टेशन पर जहां से वह यात्रा शुरु करता है या किसी जंक्शन या टर्मिनल स्टेशन पर या सिविल जिले के मुख्यालय में स्थित स्टेशन पर, और केवल दिन में ही हटाया जाएगा, अन्यथा नहीं।

**कार्यवाही :-** नहीं हटने पर धारा 147 का अपराधी माना जाएगा।

**धारा-141 : रेल गाडी के संचार साधनों में अनावश्यक रुप से हस्तक्षेप करना:-**

यदि कोई यात्री या कोई अन्य व्यक्ति, यात्रियों और रेलगाड़ी के भाराधक रेल सेवक के बीच के संचार के लिए रेल प्रशासन द्वारा रेलगाड़ी में व्यवस्थ्ति किन्हीं साधनों का उपयोग या उनमें युक्तियुक्त(उचित) और पर्याप्त कारण के बिना हस्तक्षेप करेगा तो, वह एक वर्ष तक के कारावास से या एक हजार रूपये के जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा :

परन्तु तत्प्रतिकूल विशेष और पर्याप्त कारणों के अभाव में, जिनका उल्लेख न्यायालय के निर्णय में किया जाएगा, यदि कोई यात्री युक्तियुक्त और पर्याप्त कारण के बिना उस खतरे की जंजीर का प्रयोग करेगा जिसकी व्यवस्था रेल प्रशासन द्वारा की गई है तो ऐसा दण्ड-

(a) प्रथम अपराध के लिए दोषसिद्धि की दशा में, पाँच सौ रूपये के जुर्माने से कम का नहीं होगा ; और

(b) द्वितिय या पश्चातवर्ती अपराध के लए दोषसिद्धि की दशा में, तीन माह के कारावास से कम दण्ड नहीं होगा।

(**ACP-** बिना उचित व पर्याप्त कारण के गाडी में खतरे की जंजीर खींचना।)

**दण्ड :-** एक वर्ष तक का कारावास या 1000/- रुपये तक का जुर्माना या दोनों दण्ड।

**धारा-142 : टिकटों का अन्तरण (Transfer) करने पर दण्ड :-**

(1) यदि कोई व्यक्ति, जो इस निमित्त प्राधिकृत कोई रेल सेवक या अभिकर्ता नहीं है,-

(a) कोई टिकट या वापसी टिकट का कोई भी आधा भाग विक्रय करेगा(बेचेगा) या विक्रय करने(बेचने) का प्रयत्न करेगा; या

(b) कोई ऐसा टिकट, जिस पर सीट या बर्थ का आरक्षण किया जा चुका है या वापसी टिकट का कोई भी आधा भाग या सीजन टिकट(ST) किसी को देगा या देने का प्रयत्न करेगा,

जिससे कि कोई अन्य व्यक्ति उसे लेकर यात्रा कर सके,तो वह तीन माह तक के कारावास से या पाँच सौ रूपये के जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा तथा वह टिकट भी जो उसने विक्रय किया हो या जसके विक्रय करने का प्रयत्न किया हो, अथवा दिया हो या देने का प्रयत्न किया हो, समपह्यत (जब्त) हो जाएगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति, इस निमित्त प्राधिकृत रेल सेवक या अभिकर्ता से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति से उपधारा (1) के खण्ड (a) में निर्दिष्ट कोई टिकट क्रय करेगा (खरीदेगा) या उस उपधारा के खण्ड (b) में निर्दिष्ट कोई टिकट अपने कब्जे में लेगा, तो वह तीन माह तक के कारावास से और पांच सौ रूपये तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा और यदि किसी पूर्वोक्त टिकट, का क्रेता (खरीदार) या धारक उससे यात्रा करेगा या यात्रा करने का प्रयत्न करेगा तो उसका वह टिकट जो उसने इस प्रकार खरीदा या प्राप्त कया है, जब्त हो जाएगा और उसके बारे में यह समझा जाएगा कि वह उचित टिकट के बिना यात्रा कर रहा है और उसके विरूद्ध धारा 138 के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी :

परन्तु तत्प्रतकूल विशेष और पर्याप्त कारणों के अभाव में, जिनका उल्लेख न्यायालय के निर्णय में किया जाएगा, उपधारा (1) और (2) के अधीन ऐसा दण्ड दो सौ रूपये के जुर्माने से कम का नहीं होगा।

**दण्ड :-** तीन माह तक का कारावास या 500/- रुपये तक का जुर्माना या दोनों दण्ड।

(**नोट :**टिकट जब्त होगी, न्यूनतम दण्ड 200/- रुपये जुर्माने कम नहीं होगा।)

**धारा-143 : रेल टिकटों को उपाप्त करने और प्रदाय करने का अवैध व्यापार करना :-**

(1) यदि कोई व्यक्ति, जो इस निमित्त प्राधिकृत कोई रेल सेवक या अभिकर्ता नहीं है,-

(a) किसी रेल में यात्रा करने के लिए या किसी रेलगाड़ी में यात्रा के लिए आरक्षित स्थान के लिए टिकट उपाप्त करने और प्रदाय करने का कोई कारोबार करेगा ; या

(b) ऐसा कोई कारोबार करने के इरादे से स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा टिकट खरीदेगा या बेचेगा अथवा खरीदने या बेचने का प्रयत्न करेगा,

-तो वह तीन वर्ष तक के कारावास से या दस हजार रूपये तक के जुर्माने से या दोनों से दण्डनीयय होगा और ऐसे टिकट भी, जो उसने इस प्रकार उपाप्त किए हों, प्रदाय किए हों, खरीदे हों, बेचे हों, अथवा जिनके खरीदने या बेचने का प्रयत्न किया हो, जब्त हो जाएंगे :

परन्तु तत्प्रतकूल विशेष और पर्याप्त कारणों के अभाव में, जिनका उल्लेख न्यायालय के निर्णय में किया जाएगा, ऐसा दण्ड एक माह की अवधि के कारावास से या पाँच हजार रूपये के जुर्माने से कम का नहीं होगा।

(2) जो कोई इस धारा के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का दुष्पेरण करेगा, चाहे ऐसा अपरध किया गया है या नहीं, वह उसी दण्ड से दण्डनीय होगा जो उस अपराध के लिए उपबन्धित है।

**दण्ड :-** तीन वर्ष तक का कारावास या 10,000/- रुपये तक का जुर्माना या दोनों दण्ड।

(**नोट :**न्यूनतम दण्ड एक माह व 5000/- रुपये जुर्माना।)

**धारा-144 : रेल पर फेरी लगाना आदि और भीख मांगने पर निषेध(प्रतिबन्ध) :-**

(1) यदि कोई व्यक्ति रेल प्रशासन द्वारा इस निमित्त अनुदत्त अनुज्ञप्ति में दिए गए निबंधनों और शर्तों के अधीन या अनुसार के सिवाय, रेल के किसी सवारी डिब्बे में या रेल के किसी भाग पर किसी ग्राहकी के लिए संयाचना करेगा, तो वह एक वर्ष तक के कारावास से या दो हजार रूपये तक के जुर्मानो से या दोनों से दण्डनीयय होगा :

परन्तु तत्प्रतिकूल विशेष और पर्याप्त कारणों के अभाव में, जिनका उल्लेख न्यायालय के निर्णय में किया जाएगा, ऐसा दण्ड एक हजार रूपये के जुर्माने से कम का नहीं होगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति रेल के किसी सवारी डिब्बे में या किसी रेल स्टेशन पर भीख मांगेगा तो वह उपधारा (1) में उपबन्धित दण्ड का दायी होगा।

(3) उपधारा (1) या (2) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति इस निमित्त प्राधिकृत किसी रेल सेवक द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसे ऐसा रेल सेवक अपनी सहायता देने के लिए बुलाए, यथास्थित रेल के किसी सवारी डिब्बे या रेल के किसी भाग या रेल स्टेशन से हटाया जा सकेगा।

**दण्ड :-** एक वर्ष तक का कारावास या 2000/- रुपये तक का जुर्माना या दोनों दण्ड।

(**नोट** : न्यूनतम जुर्माना 1000/-रुपये जुर्माना)

**धारा-145 : नशे की हालत में होना या उत्पात/अपप्रदूषण:-**

**(Drunkenness or Nuisance):-**

यदि किसी रेल के सवारी डिब्बे में या रेल के किसी भाग पर कोई व्यक्ति-

(a) नशे की हालत में होगा ; या

(b) कोई न्यूसेंस(अपप्रदूषण/उत्पात) या अशिष्ट कार्य करेगा अथवा गाली-गलौच की या अश्लील भाषा का उपयोग करेगा ; या

(c) जानबूझकर या किसी प्रतिहेतु के बिना रेल प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई किसी सुख:सुविधा में बाधा डालेगा जिससे किसी यात्री की आरामदायक यात्रा पर प्रभाव पड़ता हो,

-तो वह किसी रेल सेवक द्वारा रेल से हटाया जा सकेगा, और उसके पास या टिकट के जब्ती के अलावा, वह छह माह तक के कारावस से और पांच सौ रूपये तक के जुर्मने से दण्डनीय होगा।

परन्तु तत्प्रतिकूल विशेष और पर्याप्त कारणों के अभाव में, जिनका उल्लेख न्यायालय के निर्णय में किया जाएगा, ऐसा दण्ड-

(a) प्रथम अपराध के लिए दोषसिद्धि की दशा में, एक सौ रूपये के जुर्मने से कम का नहीं होगा ; और

(b) द्वितिय या पश्चातवर्ती अपराध के लिए दोषसिद्धि की दशा में, एक माह के कारावास से और दो सौ पचास रूपये के जुर्मने से, कम का नहीं होगा।

**दण्ड :-** छह माह तक का कारावास और 500/- रुपये तक का जुर्माना और पास या टिकट जब्त होगा।

**धारा-146: रेल सेवक के कर्तव्यों (कार्यो) में बाधा डालना:-**

यदि कोई व्यक्ति किसी रेल सेवक के कर्तव्यों के निर्वहन(पालन) में जानबूझकर बाधा या रूकावट डालेगा तो, वह छह माह तक के कारावास से या एक हजार रूपये तक के जुर्मने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

**दण्ड :-** छह माह तक का कारावास या 1000/- रुपये तक का जुर्माना या दोनों दण्ड।

**धारा-147** : रेल के किसी भाग या जगह पर विधि विरुद्ध प्रवेश करना या विधि विरुद्ध प्रवेश से हटने से इन्कार करना। (Tress Pass-अवैध प्रवेश)

(1) यदि कोई व्यक्ति किसी रेल पर या उसके किसी भाग में विधि विरूद्ध प्रवेश करेगा या ऐसे भाग में विधि विरूद्ध रूप से प्रवेश करने के पश्चात् ऐसी सम्पत्ति का दुरूपयोग करेगा या

वहां से जानेसे इन्कार करेगा, तो वह छह माह तक के कारावास से या एक हजार रूपये तक के जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा :

परन्तु तत्प्रतिकूल विशेष और पर्याप्त कारणों के अभाव में, जिनका उल्लेख न्यायालय के निर्णय में किया जाएगा, ऐसा दण्ड पाँच सौ रूपये के जुर्माने से कम का नहीं होगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति किसी रेल सेवक द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जि ऐसा रेल सेवक अपनी सहायता के लिए बुलाए, रेल से हटाया जा सकेगा।

**दण्ड :-** छह माह तक का कारावास या 1000/- रुपये तक का जुर्माना या दोनों दण्ड।

### धारा-148 : प्रतिकर(मुआवजा) के लिए आवेदन में झूठा(असत्य) कथन करने पर दण्ड:-

यदि धारा 125 के अधीन प्रतिकर के लिए किसी आवेदन में कोई व्यक्ति ऐसा कथन करेगा जो झूठा है या जिसके झूठा होने का उसे या तो ज्ञान या विश्वास है या जिसके सही होने का उसे विश्वास नहीं है, तो वह तीन वर्ष तक के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

**दण्ड :-** तीन वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों दण्ड।

### धारा-149 : प्रतिकर(मुआवजा/हरजाना/क्षतिपूर्ति) के लिए जूठा दावा करने पर दण्ड:-

यदि कोई व्यक्ति किसी रेल प्रशासन से किसी परेषण की हानि, नाश, नुकसान, क्षय या अपरिदान के लिए किसी प्रतिकर की अपेक्षा करने के लिए कोई ऐसा दावा करेगा जो झूठा है या जिसके झूठा होने का उसे या तो ज्ञान या विश्वास है जिसके सही होने का उसे विश्वास नहीं है तो वह तीन वर्ष के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

**दण्ड :-** तीन वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों दण्ड।

### धारा-150 :रेल गाडी को दुर्भावपूर्ण(विद्वेशपूर्ण/शत्रुतापूर्ण) से तोड-फोड(ध्वस्त) करना या ध्वस्त करने का प्रयत्न करना:-

(1) उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए यह है कि यदि कोई व्यक्ति इस आशय से या ज्ञान से कि यह संभाव्य है कि वह रेल पर यात्रा करने वाले या विद्यमान किसी व्यक्ति का क्षेम संकटापन्न कर सकता है विधिविरूद्धतया,-

(a) किसी रेल के ऊपर या आर-पार कोई काष्ठ, पत्थर या अन्य पदार्थ या चीज रखेगा या फेंकेगा ; या

(b) किसी रेल की पटरी, स्लीपर या अन्य पदार्थ या चीज को उठाएगा, हटाएगा, ढीला करेगा या विस्थापित करेगा ; या

(c) किसी रेल के किन्हीं प्वाइंटों या अन्य मशीनरी को घुमाएगा, चलाएगा, खोलेगा या उसका दिशाभंग करेगा ; या

(d) किसी रेल पर या उसके निकट कोई सिग्नल या प्रकाश करेगा या दिखाएगा या उसे छिपाएगा या हटाएगा ; या

(e) किसी रेल के सम्बन्ध में कोई अन्य कार्य या बात करेगा या करवाएगा या करने का प्रयत्न करेगा,

-तो वह आजीवन कारावास से या दस वर्ष तक के कठोर कारावास से, दण्डनीय होगा:

परन्तु तत्प्रतिकूल विशेष और पर्याप्त कारणों के अभाव में, जिनका उल्लेख न्यायालय के निर्णय में किया जाएगा, जहाँ कोई व्यक्ति कठोर कारावास से दण्डनीय है, वहां ऐसा कारावास-

(a) प्रथम अपराध के लिए दोषसिद्धि की दशा में, तीन वर्ष से कम का नहीं होगा, और

(b) द्वितिय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए दोषसिद्धि की दशा में, सात वर्ष से कम का नहीं होगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के खण्डों में से किसी खण्ड में निर्दिष्ट कोई कार्य या बात,-

(a) किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के आशय से विधिविरूद्धतया करेगा और ऐसे कार्य या बात के करने से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाती है ; या

(b) इस बात को जानते हुए विधिविरूद्धतया करेगा कि वह कार्य या बात इतनी आसन्नसंकट है कि पूरी संभाव्यता है कि वह किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर ही देगी या किसी व्यक्ति का ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर ही देगी जिससे ऐसे व्यक्ति की मृत्यु कारित होना संभाव्य है,

- तो वह मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावा से दण्डनीय होगा।

**दण्ड :-** दस वर्ष या आजीवन कारावास। (यदि ऐसे प्रयास से किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे आजिवन कारावास या मृत्यु दण्ड से दण्डित किया जाएगा।)

## धारा-151:आग या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रेल सम्पत्तियों का विनाश या नुकसान करना:-

(1) यदि कोई व्यक्ति, इस आशय से या इस ज्ञान से कि ऐसा नुकसान होने कि संभावना है कि उससे उपधारा (2) में निर्दिष्ट रेल सम्पत्तियों में से किसी का नुकसान या नाश हो सकता है, आग या विस्फोटक पदार्थ द्वारा या अन्य प्रकार से, ऐसी सम्पत्ति का नुकसान करेगा या ऐसी सम्पत्ति का नाश करेगा तो वह पांच वर्ष तक के कारावास से या जुमर्ने से, या दोनों से दण्डनीय होगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट रेल सम्पत्तियां, रेल की पटरी, पुल, स्टेशनों के भवन और संस्थापन, सवारी डिब्बे या वैगन, लोकोमोटिव, सिगनल, दूर संचार, विद्युत कर्षण और ब्लाक उपस्कर और ऐसी अन्य सम्पत्तियां है जिन्हें केन्द्रीय सरकार यह राय रखते हुए कि उनके नुकसान या नाश(नष्ट होने) से किसी रेल के कार्यचालन को खतरा होने की संभावना है, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

**दण्ड :-** पाँच वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों दण्ड।

## धारा-152 : रेल द्वारा यात्रा करने वाले व्यक्तियों को दुर्भावपूर्ण( विद्वेशपूर्ण/शत्रुतापूर्ण) चोट पहुँचाना या ऐसा प्रयत्न करना:-

यदि कोई व्यक्ति, रेलगाड़ी के भागस्वरूप किसी चल स्टाक पर, उसके सामने, उसमें या उसके ऊपर कोई काष्ठ, पत्थर या अन्य पदार्थ या चीज इस आशय से या इस ज्ञान से कि ऐसी संभावना हो सकती है कि, ऐसे चल स्टाक में या चल स्टाक पर या उसी रेलगाड़ी के भागस्वरूप किसी अन्य चल स्टाक में चल स्टाक पर विद्यमान किसी व्यक्ति की सुरक्षा को संकट उत्पन्न हो सकती है, विधिविरूद्धता फेंकेगा या गिराएगा या मारेगा तो वह आजीवन कारावास से, या कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा।

**दण्ड :-** आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कारावास।

## धारा-153 : रेल द्वारा यात्रा करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा को जानबूझकर किए गए कार्य या लोप(कमी) द्वारा संकट में डालना:-

यदि कोई व्यक्ति, किसी रेल पर यात्रा करने वाले या विद्यमान किसी व्यक्ति की सुरक्षा को किसी विधिविरूद्ध कार्य या जानबूझकर किए गए किसी लोप या उपेक्षा से संकट उत्पन्न करेगा या करवाएगा या किसी रेल पर किसी चल स्टाक में बाधा डालेगा या डलवाएगा या बाधा डालने का प्रयत्न करेगा, तो वह पांच वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय होगा।

**दण्ड :-** पाँच वर्ष तक का कारावास।

## धारा-154 : रेल द्वारा यात्रा करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा को उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण कार्य द्वारा या लोप (भूल/कमी) द्वारा संकट उत्पन्न करना:-

यदि कोई व्यक्ति, उतावलेपन से और उपेक्षापूर्ण रीति से कोई कार्य करेगा या ऐसा कार्य करने का लोप(भूल/कमी) करेगा, जिसे करने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध है, और रेल पर यात्रा करने वाले या विद्यमान किसी व्यक्ति की सुरक्षा उस कार्य या लोप से संकट उत्पन्न होने की संभावना है, तो वह एक वर्ष तक के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

**दण्ड :-** जुर्माना या एक वर्ष तक का कारावास या दोनों दण्ड।

## धारा-155 : रिजर्वेशन(आरक्षीत) कक्ष में अवैध प्रवेश करना या अनारक्षित कक्ष में प्रवेश का प्रतिरोध(बाधा/रूकावट) करना :-

(1) यदि कोई यात्री-

(a) किसी ऐसे कक्ष में प्रवेश करके जिसमें रेल प्रशासन द्वारा उसके उपयोग के लिए कोई शायिका(बर्थ) या सीट(आसन) आराक्षित नहीं की गई है ; या

(b) किसी अन्य यात्री के उपयोग के लिए रेल प्रशासन द्वारा आरक्षित की गई किसी शायिका या सीट पर अप्राधिकृत रूप से दखल करके,

-उसे तब छोड़ने से इन्कार करेगा, जब ऐसा करने के लिए इस निमित्त प्राधिकृत किसी रेल सेवक द्वारा अपेक्षा की गई हो तो ऐसा रेल सेवक उसे, यथास्थिति, उस कक्ष, शायिका या सीट से हटा सकेगा या किसी अन्य व्यक्ति की सहायता से हटवा सकेगा और वह पांच सौ रूपये तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा।

**दण्ड :-** 500/- रु. तक का जुर्माना।

(2) यदि कोई यात्री किसी ऐसे कक्ष में, जो प्रतिरोध करने वाले यात्री के उपयोग के लिए आरक्षित नहीं किया गया है, किसी अन्य यात्री के विधिपूर्ण प्रवेश का प्रतिरोध करेगा तो वह दो सौ रूपये तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा।

**दण्ड :-** 200/- रु. तक का जुर्माना।

## धारा-156 : रेलगाड़ी की छत, सीढ़ियों, इंजन या किसी भाग पर यात्रा करना:-

यदि कोई यात्री या कोई अन्य व्यक्ति, किसी रेल सेवक द्वारा प्रतिवरित(वहां से हटने) की चेतावनी दी जाने के पश्चात् भी, किसी सवारी डिब्बे की छत, सीढ़ियों या पायदानों पर या किसी इंजन पर या रेलगाड़ी के अन्य ऐसे किसी भाग में, जो यात्रियों के उपयोग के लिए आशयित नहीं है, यात्रा करता

रहेगा, तो वह तीन माह तक के कारावास से या पांच सौ रूपये तक के जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

**दण्ड :-** 500/- रु. तक का जुर्माना या तीन माह तक का कारावास या दोनों दण्ड।

## धारा-157 : पास या टिकट में फेरफार करना या उसे विरुपित करना (अंको या अक्षरों को बदलना):-

यदि कोई यात्री अपने पास या टिकट में जानबूझकर फेरफार करेगा या उे विरूपित करेगा जिससे उसकी तारीख, संख्यांक या कोई तात्विक भाग अपठनीय हो जाता है, तो वह तीन माह तक के कारावास से या पांच सौ रूपये तक के जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

**दण्ड :-** 500/- रु.तक का जुर्माना या तीन माह तक का कारावास या दोनों दण्ड।

## धारा-159 : रेल सेवकों आदि के निर्देशों को वाहनों के ड्राईवरों या संवाहकों (कन्डक्टरा) द्वारा अवज्ञा (न मानना):-

यदि किसी वाहन का कोई ड्राइवर या कन्डक्टर, रेल के परिसर में होते हुए किसी रेल सेवक या पुलिस अधिकारी के उचित निदेशों की अवज्ञा करेगा तो वह एक माह तक के कारावास से या पांच सौ रूपये तक के जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

**दण्ड :-** 500/- रु. तक का जुर्माना या एक माह तक का कारावास या दोनों दण्ड।

## धारा-160 : समतल क्रासिंग फाटक का खोलना या तोड़ना :-

(1) यदि कोई व्यक्ति जो रेल सेवक या इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्ति नहीं है, किसी समतल क्रासिंग के, जो सड़क यातायात के लिए बंद कर दिया गया है, दोनों और स्थापित किसी फाटक या चेन या रोध को खोलेगा तो वह तीन वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय होगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति किसी समतल क्रासिंग के, जो सड़क यातायात के लिए बंद कर दिया गया है, दोनों ओर स्थापित किसी फाटक या चेन या रोध को तोड़ेगा तो वह पांच वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय होगा।

**संक्षिप्त में :-**

**(1)** किसी ऐसे समतल क्रोसिंग फाटक को खोलना जहाँ कोई व्यक्ति नियुक्त हो।

**दण्ड :-** तीन वर्ष तक का कारावास।

**(2)** किसी ऐसे समतल क्रोसिंग फाटक को तोडना जहाँ कोई व्यक्ति नियुक्त हो।

**दण्ड :-** पाँच वर्ष तक का कारावास।

## धारा-161 : बिना गेटकीपर वाले समतल क्रोसींग फाटक को असावधानी या लापरवाही से पार करना:-

यदि किसी वाहन को चलाने या ले जाने वाला कोई व्यक्ति किसी समतल क्रासिंग को, जिस पर कोई आदमी नहीं है, उपेक्षापूर्वक पार करेगा तो वह एक वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय होगा।

**स्पष्टीकरण :-** इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी समतल क्रासिंग को, जिस पर कोई आदमी नहीं है, वाहन चलाकर या ले जाकर, पार करने वाले किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में **"उपेक्षा(negligence)"** का अर्थ है, ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसे समतल क्रासिंग को-

(a) जब ऐसा मालूम पड़ता है कि, आ रहा कोई चल स्टाक दिखाई दे रहा है, ऐसे समतल क्रासिंग के निकट वाहन रोके बिना या उसे रोकने की सावधानी बरते बिना पार करना, या

(b) तब पार करना जब आ रहा चल स्टाक दिखाई दे रहा है।

**दण्ड :-** एक वर्ष तक का कारावास।

**धारा-162 : महिलाओं के लिए आरक्षित किसी सवारी डिब्बे या अन्य स्थान में अवैध प्रवेश करना:-**

यदि कोई पुरूष जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि किसी रेलगाड़ी में कोई सवारी डिब्बा, कक्ष, शायिका या सीट अथवा कोई कमरा या अन्य स्थान जो रेल प्रशासन द्वारा महिलाओं के अनन्य उपयोग के लिए आरक्षित किया गया है, विधिपूर्ण प्रतिहेतु के बिना-

(a) उस सवारी डिब्बे, कक्ष, कमरे या अन्य स्थान में प्रवेश करेगा या उसे सवारी डिब्बे, कक्ष, कमरे या स्थान में प्रवेश करने के पश्चात् उसमें रहेगा ; या

(b) किसी रेल सेवक द्वारा ऐसी शायिका या सीट को खाली करने की अपेक्षा करने पर भी उस पर दखल रखेगा,

-तो वह अपने पा या टिकट के जब्त किये जाने का दायी होने के अतिरिक्त, पांच सौ रूपये तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा और वह किसी रेल सेवक द्वारा हटाया भी जा सकेगा।

**दण्ड :-** पाँच सौ रुपये तक का जुर्माना और पास/ टिकट जब्त होगा।

**धारा-163 : माल का झूठा वर्णन देना:-**

यदि कोई व्यक्ति, जिससे माल का वर्णन देने की धारा 66 के अधीन अपेक्षा की जाती है, ऐसा वर्णन देगा जो तात्विक रूप से झूठा है तो वह और यदि वह उस माल का स्वामी नहीं है, तो स्वामी भी इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन किसी माल-भाड़े या अन्य प्रभार(चार्ज) का संदाय(भूगतान) करने के अपने दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बना, ऐसे जुर्माने से, जो ऐसे माल के प्रति क्विंटल या उसके भाग के लिए पांच सौ रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

**दण्ड :-** पाँच सौ रुपये तक का जुर्माना प्रति क्विन्टल।

**धारा-164 : खतरनाक माल को विधि विरुद्ध रुप से रेल पर लाना:-**

यदि कोई व्यक्ति, धारा 67 के उल्लंघन में अपने साथ कोई खतरनाक माल वहन के लिए ले जाएगा या किसी ऐसे माल को वहन के लिए रेल प्रशासन को सौंपेगा, तो वह तीन वर्ष तक के कारावास से या एक हजार रूपये तक के जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा, और ऐसे माल को रेल पर ले जाने के कारण हुई किसी हानि, क्षति या नुकसान के लिए भी जिम्मेदार होगा।

**दण्ड :-** 1000/- रुपये तक का जुर्माना या तीन वर्ष तक का कारावास या दोनो दण्ड।
(एवं नुकशान का जिम्मेदार होगा।)

**धारा-165 : घृणोत्पादक(बदबूदार) माल को विधि विरुद्ध रुप से रेल पर लाना:-**

यदि कोई व्यक्ति, धारा 67 के उल्लंघन में अपने साथ कोई घृणोत्पादक माल वहन के लए ले जाएगा या ऐसा माल वहन के लिए रेल प्रशासन को सौंपेगा, तो वह पांच सौ रूपये तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा, और ऐसे माल को रेल पर ले जाने के कारण हुई किसी हानि, क्षति या नुकसान के लिए भी जिम्मेदार होगा।

**दण्ड :-** 500/- रुपये तक का जुर्माना। (एवं नुकशान का जिम्मेदार होगा।)

**धारा-166 : रेल प्रशासन द्वारा लगाए गए किसी नोटिस बोर्ड या सार्वजनिक सूचनाओं को विरूपित करना :-**

यदि कोई व्यक्ति विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना,-

(a) रेल प्रशासन के आदेश द्वारा रेल या किसी चल स्टाक पर लगा गए या चिपकाए गए किसी बोर्ड या दस्तावेज को उखाड़ेगा या जानबूझकर नुकसान पहुंचागा ; या

(b) किसी ऐसे बोर्ड या दस्तावेज या किसी चल स्टाक पर के किन्हीं अक्षरों या अंकों को मिटागा या बदलेगा, तो वह क माह तक के कारावास से या पांच सौ रुपये तक के जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

**दण्ड :-** 500/- रुपये तक का जुर्माना या एक माह तक का कारावास या दोनो दण्ड।

**धारा-167 : धूम्रपान करना (Smoking) :-**

(1) यदि किसी रेलगाड़ी के किसी कक्ष में कोई अन्य यात्री धूम्रपान पर आक्षेप करता है तो कोई भी व्यक्ति उस कक्ष में धुम्रपान नहीं करेगा।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, रेल प्रशासन किसी रेलगाड़ी या रेलगाड़ी के किसी भाग में धुम्रपान प्रतिबन्धित कर सकेगा।

(3) जो कोई उपधारा (1) या (2) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, वह एक सौ रूपये तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा।

**दण्ड :-** 100/- रुपये तक का जुर्माना।

**धारा-168 : रेल पर यात्रा करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा को संकट उत्पन्न करने वाले कार्यो के बालकों द्वारा किए जाने के बारे में उपबन्ध:-**

(1) यदि बारह वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति(बालक) धारा 150 से धारा 154 तक के अपराध का दोषी पाया जाए तब उसे दोष सिद्धदोष ठहराने वाला न्यायालय ऐसे व्यक्ति के पिता या संरक्षक से ऐसी रकम और ऐसी अवधि के लिए, जो न्यायालय निर्दिष्ट करें, ऐसे व्यक्ति के सदाचरण के लिए एक एक निर्धारित अवधि के लिए बन्धपत्र (Bond)भरवाया जाएगा।

(2) बन्धपत्र की रकम यदि जब्त हो जाए तो न्यायालय द्वारा ऐसे वसूलीय होगी मानो वह स्वयं उसके द्वारा अधिरोपित जुर्माना हो।

(3) यदि पिता या संरक्षक न्यायालय द्वारा नियत समय अवधि के भीतर उपधारा (1) के अधीन कोई बन्धपत्र निष्पादित करने में असफल रहेगा तो वह जुर्माने से, जो पचास रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

**दण्ड :-** बन्धपत्र का उल्लंघन होने पर बन्धपत्र लिखने वाले को पचास रुपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।

**धारा-172: यदि कोई रेल सेवक नशे की हालत में ड्युटी पर होगा:-**

यदि कोई रेल सेवक ड्युटी पर होते हुए नशे की हालत में होगा तो वह पांच सौ रूपये तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा और जब ऐसी हालत में किसी कर्तव्य के पालन के लिए किए जाने से रेल पर यात्रा करने वाले या उसमें विद्यमान किसी व्यक्ति की सुरक्षा को संकट उत्पन्न होने की संभावना हो तब ऐसे रेल सेवक को एक वर्ष तक के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जा सकेगा।

**दण्ड :-** 500/- रुपये तक का जुर्माना या एक वर्ष तक का कारावास या दोनो दण्ड।

**धारा-173 : प्राधिकार के बिना रेल गाडी आदि का परित्याग कर देना:-**

यदि कोई रेल सेवक को, जो ड्युटी पर है किसी रेलगाड़ी या अन्य चल स्टाक को एक स्टेशन या स्थान से दूसरे स्टेशन या स्थान तक चलाने के सम्बन्ध में कोई उत्तरदायित्व सौंपा जाता है और वह उस स्टेशन या स्थान पर पहुंचने से पहले, प्राधिकार के बिना (चार्ज सौंपे बिना) अपनी ड्युटी का परित्याग कर (छोड) देता है तो वह दो वर्ष तक के कारावास से या दो हजार रूपये के जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

**दण्ड :-** 1000/- रुपये तक का जुर्माना या दो वर्ष तक का कारावास या दोनो दण्ड।

**धारा-174 : रेल गाडी आदि के चलने में बाधा डालना:-**

यदि कोई रेल सेवक (ड्युटी पर होते हुए या अन्यथा) या कोई अन्य व्यक्ति,-

(a) रेल की पटरी पर बैठकर या पिकेटिंग करके किसी रेल रोको आन्दोलन या बंद के दौरान ; या

(b) रेल पर बिना प्राधिकार कोई चल स्टाक रख कर ; या

(c) रेल के होजपाइप में छेड़छाड़ करके, उसे अलग करके (HPD) या किसी अन्य रीति से उसे बिगाड़ कर या सिगनल गियर से छेड़छाड़ करके, या अन्यथा,

रेल पर कसी रेलगाड़ी या अन्य चल स्टाक को बाध पहुंचाएगा या बाधा पहुंचाएगा या बाधा पहुंचाने का प्रयत्न करेगा तो वह दो वर्ष तक के कारावास से या दो हजार रूपये के जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

**दण्ड :-** 2000/- रुपये तक का जुर्माना या दो वर्ष तक का कारावास या दोनो दण्ड।

**धारा-175 : नियम या आदेश की अवज्ञा करके अथवा उतावलेपन या लापरवाही से रेल सेवक द्वारा डयुटी पर रहते हुए व्यक्तियों की सुरक्षा को संकट उत्पन्न करना:-**

यदि कोई रेल सेवक ड्युटी पर है-

(a) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम की अवज्ञा करके ; या

(b) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी अनुदेश, निदेश या आदेश की अवज्ञा करके ; या

(c) किसी उतावलेपन के या उपेक्षापूर्ण कार्य या लोप(कमी) द्वारा,

-किसी व्यक्ति की सुरक्षा को संकट उत्पन्न करेगा तो वह दो वर्ष तक के कारावास से या एक हजार रूपये के जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

**दण्ड :-** 1000/- रुपये तक का जुर्माना या दो वर्ष तक का कारावास या दोनो दण्ड।

**धारा-176 : रेल सेवक द्वारा जानबूझकर समतल क्रोसिंग फाटक बन्द रखना या बाधा डालना:-**

यदि कोई रेल सेवक अनावश्यक रूप से-

(a) किसी चल स्टाक को ऐसे स्थान के आर-पार खड़ी रहने देगा जहां रेल किसी लोक मार्ग को समतल पर पार करती है ; या

(b) समतल क्रासिंग को जनता के लिए बंद रखेगा,

-तो वह एक सौ रूपये तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा।

**दण्ड :-** 100/- रुपये तक का जुर्माना।

**धारा-177 : किसी रेल सेवक द्वारा झूठी विवरणियां (False returns) देना:-**

यदि इस अधिनियम के द्वारा या अधीन कोई विवरणी देने के लिए अपेक्षित कोई रेल सेवक किसी ऐसी विवरणी पर हस्ताक्षर करेगा और उसे देगा जो किसी तात्विक विशिष्ट में झूठी है या जिसके झूठा होने का उसे या तो ज्ञान या विश्वास है या जिसके सही होने का उसे विश्वास नहीं है, तो वह एक वर्ष तक के कारावास से या पांच सौ रूपये तक के जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

**दण्ड :-** 500/- रुपये तक का जुर्माना या एक वर्ष तक का कारावास या दोनो दण्ड।

**धारा-178 : किसी रेल सेवक द्वारा झूठी रिपोर्ट (False report) करना:-**

यदि कोई रेल सेवक जिससे रेल प्रशासन किसी परेषण(माल) की हानी, नाश, नुकसान, क्षय या अपरिदान के किसी दावे के बारे में जांच करने की अपेक्षा करता है, ऐसी कोई रिपोर्ट करेगा जो झूठी है या जिसके झूठी होने का उसे या तो ज्ञान या विश्वास है या जिसके सही होने का उसे विश्वास नहीं है, तो वह दो वर्ष तक के कारावास से या एक हजार रूपये तक के जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

**दण्ड :-** 1000/- रुपये तक का जुर्माना या दो वर्ष तक का कारावास या दोनो दण्ड।

## *<u>गिरफ्तारी के अधिकार</u> :-*

***[धारा-179 : बिना वॉरन्ट गिरफ्तार करने के अधिकार :-**

(1) यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम की धारा 150 से 152 में वर्णित कोई अपराध करता है, तो उसे बिना वॉरन्ट या बिना किसी लिखित प्राधिकार के कोई भी रेल सेवक या पुलिस अधिकारी जो कि हैड कॉन्स्टेबल के पद से निचे का न हो, गिरफ्तार कर सकेगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम की धारा 137 से 139, 141 से 147, 153 से 157, 159 से 167 और 172 से 176 में वर्णित कोई अपराध करता है, तो उसे बिना वॉरन्ट तथा बिना किसी लिखित प्राधिकार के केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित आदेशानुसार "प्राधिकृत अधिकारी" गिरफ्तार कर सकेगा।

(3) रेल सेवक, रेल अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी परिस्थिति के अनुसार उपधारा (1) व (2) के अधीन जैसा भी मामला हो, गिरफ्तारी के लिये किसी भी अन्य व्यक्ति को अपनी सहायता के लिए बुला सकेगा।

(4) इस धारा के अधीन इस प्रकार गिरफ्तार किये किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के स्थान से न्यायालय तक यात्रा के लिये आवश्यक समय को छोडकर गिरफ्तारी के 24 धन्टे के भीतर नजदीक के न्यायालय के मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा।]

*[संशोधन अधि. सं.56-2003 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित (दि.01-7-2004 से प्रभावी।]

**धारा-180 : ऐसे व्यक्तियों की गिरफ्तारी जिनका फरार होना आदि की सम्भावना हो :-**

(1) यदि कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन *[धारा-179(2)] में वर्णित अपराध से भिन्न कोई अपराध करता है या धारा-138 के अधीन मांगे गए अधिक प्रभार (चार्ज) या अन्य राशि जो वह देने के लिए जिम्मेदार है, अपना नाम और पता देने में असफल रहेगा या देने से इन्कार करेगा या यह विश्वास करने का उचित कारण हो कि उसके द्वारा दिया गया नाम व पता गलत है और यह कि वह फरार हो जाएगा, तो उसे

**[प्राधिकृत अधिकारी] बिना वॉरन्ट या बिना लिखित प्राधिकार के गिरफ्तार कर सकेगा।

(2) **[प्राधिकृत अधिकारी] उपधारा (1) के अधीन गिरफ्तारी करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को अपनी सहायता के लिए बुला सकेगा।

(3) इस धारा के अधीन गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोडकर ऐसी गिरफ्तारी से 24 धन्टे के भीतर नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा, अगर वह अपना नाम व पता सही-सही नहीं बताता।

*[संशोधन अधि. सं.56-2003 की धारा 4 द्वारा अंतःस्थापित (दि.01-7-2004 से प्रभावी।]

**[संशोधन अधि. सं.56-2003 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित (दि.01-7-2004 से प्रभावी।]

## *<u>रेल अधिनियम के अन्तर्गत धटित अपराधों की जाँच करने की प्रक्रिया</u>* :-

### *[धारा-180-A : जाँच कौन करेगा :-

धारा 179(2) के अन्तर्गत धटित किसी मामले में तथ्य एवं परिस्थितीयों का पता लगाने हेतु प्राधिकृत अधिकारी जाँच करेगा और यदि पाया जाता है कि अपराध हुआ है तो न्यायालय के समक्ष शिकायत प्रस्तुत करेगा।

### धारा-180-B: प्राघिकृत अधिकारी के जाँच के अधिकार:-

जाँच के दौरान प्राघिकृत अधिकारी को शक्ति होगी(अधिकार होगा) की वह -

(i) किसी व्यक्ति को हाजिर रहने के लिए सम्मन द्वारा उसे उपस्थित रहने हेतु, उसके बयान लेने हेतु एवं रिकार्ड पेश करने हेतु सम्मन प्रस्तुत कर सकेगा एवं उसे उपस्थिति हेतु बाध्य कर सकेगा।

(ii) किसी आवश्यक दस्तावेज को मंगाये जाने एवं प्रस्तुत करने सम्बन्धित आदेश कर सकेगा।

(iii) किसी भी अधिकारी, प्राधिकारी या व्यक्ति से किसी सरकारी रिकार्ड या उसकी प्रतिलिपि की मांग कर सकेगा।

(iv) जाँच की विषय वस्तु से सम्बन्धित किसी वस्तु या दस्तावेज की जब्ती हेतु किसी भी परिसर (स्थान) में प्रवेश कर उस स्थान की या किसी व्यक्ति की तलाशी ले सकेगा।

### धारा-180-C: अन्य व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी करने पर निपटान:-

धारा 179(2) के अन्तर्गत दण्डनीय किसी अपराध हेतु गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति को, यदि प्राधिकृत अधिकारी के अलावा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, तो वह उसे बिना देरी के ऐसे(प्राधिकृत) अधिकारी के समक्ष ले आएगा।

### धारा-180-D : आरोपों की जाँच करने व जमानत देने कि शक्ति(अधिकार) :-

(1) यदि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को ईस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय किसी अपराध हेतु गिरफ्तार किया जाता है, तो वह अधिकारी उस व्यक्ति पर लगे आरोपों की जाँच हेतु आगे की कार्यवाही करेगा,

(2) जॉच के दौरान प्राधिकृत अधिकारी उन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जब किसी पुलिस थाने का थाना इन्चार्ज किसी हस्तक्षेप अपराध के मामले में अनुसंधान Cr.P.C.-1973 के अन्तर्गत करता है,

परन्तु (इसके होते हुए भी )-

(a) यदि प्राधिकृत अधिकारी की यह राय हो कि आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य या सन्देह के उचित आधार है, तो वह उस मामले में उसकी जमानत ले सकेगा, कि वह सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होगा या ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष अभिरक्षा हेतु पेश करेगा।

(b) यदि प्राधिकृत अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य या सन्देह के उचित आधार नहीं है तो उसे सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष जब भी बुलाया जाए तब उपस्थित रहने की शर्त पर जमानत सहित या रहित बन्दपत्र (BOND) लिखवा कर जैसा प्राधिकृत अधिकारी निर्देशित करें छोड दिया जाएगा।

**धारा-180-E :तलाशी, गिरफ्तारी और जब्ती कैसे कि जाएगी :-**

इस अधिनियम के अन्तर्गत की जाने वाली सभी तलाशियाँ, जब्तियाँ और गिरफ्तारियाँ Cr.P.C.-1973 के क्रमशः उन निर्देशों के अधीन होगी जो तलाशी और गिरफ्तारी के सम्बन्ध में उसमें दिए गए है।

**धारा-180-F : प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत शिकायत पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लेना (विचारण में लेना ):-**

कोई भी न्यायालय धारा-179 की उपधारा(2) में वर्णित अपराधों के लिए तब तक संज्ञान नहीं ले सकेगा जब तक कि उस मामले में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा शिकायत प्रस्तुत न कि गई हो।

**धारा-180-G : जाँच से सम्बन्धित होने वाले अपराधों के लिए दण्ड :-**

जाँच कार्यवाही के दौरान, यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर मध्यक्षेप करेगा या जाँच कार्यवाही में किसी प्रकार की बाधा पहुँचाएगा या जानबूझकर जाँच अधिकारी के समक्ष झूठा बयान करेगा तो उसे छह माह तक का का साधारण कारावास या 1000/- रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकेगा।]

*[संशोधन अधि. सं.56-2003 की धारा 5 द्वारा अंतःस्थापित (दि.01-7-2004 से प्रभावी।]

**धारा-186: सदभावना पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण :-**

इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या किए गए किन्हीं आदेशों के पालन में सदभावपूर्वक की गई या किये जाने के इरादे के किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाही केन्द्रीय सरकार, किसी रेल प्रशासन, रेल सेवक या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध नहीं की जाएगी।

**धारा-189: रेल सेवकों द्वारा कोई व्यापार न करना :-**

कोई रेल सेवक-

(a) धारा 83 या धारा 84 या धारा 85 या धारा 90 के अधीन नीलाम की जाने वाली किसी सम्पत्ति को न तो स्वयं न अभिकर्ता(एजेन्ट) द्वारा अपने नाम से या दूसरे के नाम में अथवा

संयुक्तरूप से या दासरों के साथ हिस्सेदारी में, न खरीदेगा और न उसके लिए बोली लगाएगा ;

(b) रेल प्रशासन के इस निमित्त किसी निदेश के उल्लंघन में व्यापार नहीं करेगा।

**धारा-190 : रेल सेवक द्वारा निरूद्ध (रोकना/अटकाइ गई) सम्पत्ति के रेल प्रशासन को परिदान(वापस करने)के लिए प्रक्रिया :-**

यदि रेल सेवक सेवोन्मोचित या निलम्बित कर दिया जाता है या मर जाता है या फरार हो जाता है या स्वयं अनुपस्थित रहता है और वह या उसकी पत्नी या विधवा या उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य या उसका प्रतिनिधि, रेल प्रशासन को उपरोक्त किसी ऐसी घटना के घटने पर ऐसे रेल सेवक के कब्जे या अभिरक्षा में रेल प्रसाशन का कोई स्टेशन, कार्यालय या अन्य भवन उसके अनुलग्नकों सहित या कोई पुस्तकें, कागज-पत्र, चाबियां, उपस्कर या अन्य वस्तुएं उस प्रयोजन के लिए लिखित सूचना के पश्चात्, रेल प्रशासन को या रेल प्रशासन द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति को देने से इंकार करता है या देने में उपेक्षा करता है तो कोई महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, रेल प्रशासन द्वारा या उसकी और से किए गए आवेदन पर किसी पुलिस अधिकारी को आदेश दे सकेगा कि वह उचित सहायता के साथ उस स्टेशन, कार्यालय या अन्य भवन में प्रवेश करें और वहां पाए जाने वाले किसी व्यक्ति को हटा दे और उसका कब्जा ले ले या पुस्तकों, कागज-पत्रों या अन्य वस्तुओं को कब्जे में ले ले और उन्हें रेल प्रशासन को या रेल प्रशासन द्वारा उस निमित्त व्यक्ति को परिदत्त(सुपुर्द) कर दें।

**धारा-195 :रेल प्रशासन का प्रतिनिधित्व :-**

**(Representation of railway administration):-**

(1) रेल प्रशासन, लिखित आदेश द्वारा, किसी सिविल, दाण्डिक या अन्य न्यायालय के समक्ष किसी कार्यवाही में, यथास्थिति, उसकी ओर से कार्य करने के लिए या उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी रेल सेवक या अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकेगा।

(2) रेल प्रशासन द्वारा उसकी ओर से अभियोजन संचालित करने के लिए प्राधिकृत कोई व्यक्ति, Cr.P.C. 1973 की धारा 302 में किसी बात के होते हुए भी, मजिस्ट्रेट की अनुज्ञा के बिना ऐसे अभियोजनों को संचालित करने के लिए हकदार होगा।

**************

## रेलवे (द्वितीय संशोधन) अधिनियम-2003 की मुख्य विशेषताएं :

(1) दो नई परिभाषाएं जोड़ी गई है (रेल सेवक और प्राधिकृत अधिकारी)।

(2) रेल सेवक की परिभाषा विस्तृत की गयी है। जिसमें रे.सु.ब. के सदस्यों को शामिल किया गया है।

(3) धारा-179 की उपधारा (2) के तहत दण्डनीय अपराधों को प्राधिकृत अधिकारी के लिए Cr.P.C. के प्रावधानों के अधीन हस्तक्षेप अपराध के समान बनाया गया है।

(4) प्राधिकृत अधिकारी को 29 अपराधों में गिरफ्तारी, जाँच तथा अभियोजन के अनन्य अधिकार दिये गये है।

(5) विभिन्न अपराधों के संदर्भ में रेलसेवक, पुलिस और प्रधिकृत अधिकारी में स्पष्ट विभेद किया गया है।

(6) धारा -179 की उपधारा (2) के अन्तर्गत गिरफ्तारी, जाँच अभियोजन के अधिकार रे.सु.ब. को देकर राज्य पुलिस का कार्यभार कम किया गया है, जबकि मूल अधिनिय में इन अपराधों के सम्बन्ध में पुलिस को ही कार्यवाही करनी पड़ती थी।

(7) धारा 180 में भी प्राधिकृत अधिकारी को ही कार्यवाही के लिए अधिकृत किया गया है।

(8) संशोधित अधिनियम की धाा-180(1) में प्राधिकृत अधिकारी को बिना वारण्ट गिरफ्तारी करने का अनन्य अधिकार दिया गया है।

(9) धारा-179 को दो मुख्य भागों में बांट दिया गया है। प्राधिकृत अधिकारी को 29 अपराधों के सम्बन्ध में जांच एवं अनुसंधान के अधिकार दिये गये है, जबकि धारा-150, 151 तथा 152 जैसे गम्भीर अपराधों के लिए अलग व्यवस्था की गयी है और पुलिस अधिकारी को अनुसंधान करने के अधिकार दिये है।

(10) धारा-180(F) में यह व्यवस्था की गयी है कि, धारा-179(2) में वर्णित किसी अपराध के लिए कोई न्यायाधीश तब तक संज्ञान नहीं ले सकता जब तक की प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उस मामले में शिकायत प्रस्तुत न कर दी गयी हो। (ऐसे ही प्रावधान खाद्य पदार्थ मिलावट विरोधी अधिनियम में भी है) जबकि मूल रेल अधिनियम तथा RP(RP)Act में ऐसा कोई प्रवधान नहीं है।

(11) धारा-180(G) में जांच अधिकारी को शक्ति प्रदान की गयी है कि जाँच कार्यवाही के दौरान इरादतन अपमान करने वाले, बाधा पहुंचाने वाले या इरादतन असत्य कथन करने वाले व्यक्ति को दण्डित करवा सकें। जबकि मूल अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था।

# <u>रेल अधिनियम 1989 के अधिन होने वाले अपराध और दण्ड</u>

| धारा | अपराध | रू.जुर्माना | कारावास | |
|---|---|---|---|---|
| 137 | उचित पास या टिकट के बिना कपटपूर्वक यात्रा करना या यात्रा करने का प्रयत्न करना। | 1000/- या | 6 माह या | दोनों दण्ड |
| 138 | पास या टिकट के बिना या अपर्याप्त पास या टिकट से या निर्धारित दुरि से आगे यात्रा करने पर, मांगने पर अधिक प्रभार न देना। अधिकतक चार्ज 250/- | चार्ज या | चार्ज न भरने पर एक माह | 10 दिन से कम का कारावास न होगा। |
| 139 | धारा 138 के अन्तर्गत मांगे गये अतिरिक्त चार्ज देने से इन्कार करे या देने में असफल रहे तो उसे इस कार्य हेतु तैनात रेल सेवक द्वारा सवारि डिब्बे से हटाया जायगा। परन्तु यदि वह स्त्री या बच्चा है और उसके साथ कोई सह पुरुष यात्री नहीं है तो उसे प्रारम्भीक स्टेशन पर जहां से वह यात्रा शुरू करता है या किसी जंक्शन या टर्मिनल स्टेशन पर या जिले के मुख्यालय में स्थित स्टेशन पर, और केवल दिन में हि हटाया जायगा, अन्यथा नहीं। | - | - | नहीं हटने पर धारा 147 का अपराधी माना जाएगा। |
| 141 | रेल गाड़ी के संचार साधनों में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करना, या बिना उचित या पर्याप्त कारण के गाड़ी में खतरे की जंजीर खींचना(ACP)। | 1000/- या | 1 वर्ष या | दोनों दण्ड। |
| 142 | टिकटों का अनतरण(Transfer) करना, (टिकट जब्त होगी।) | 500/- या | 3 माह या | दोनों दण्ड। |
| 143 | रेल टिकटों का अवैध व्यापार करना। | 10,000/- या | 3 वर्ष या | दोनों दण्ड। |
| 144 | (1) बगैर लायसन्स रेल पर फेरी लगाना, या (2)रेल के किसी सवारी डिब्बे या रेल स्टेशन पर भीख मांगना। | 2000/- या | 1 वर्ष या | दोनों दण्ड। |
| 145 | रेल के सवारी डिब्बे में या रेल के किसी भाग पर कोई व्यक्ति,- (a)नशे कि हालत में होगा, या (b) कोई न्यूसेंस या अशिष्ट कार्य करेगा या गाली गलौच की या अश्लील भाषा का उपयोग करेगा, या (c)यात्रीयों के आराम में बाधा पहुँचायेगा। | 500/- और | 6 माह और | पास या टिकट जब्त होगा। |
| 146 | रेल सेवक के कर्तव्य में बाधा डालना। | 1000/- या | 6 माह या | दोनों दण्ड। |
| 147 | रेल के किसी भाग या जगह पर विधि विरूद्ध प्रवेश करना या वहां से हटने से इंकार करना। (Trespass) | 1000/- या | 6 माह या | दोनों दण्ड। |
| 150 | रेल गाड़ी को ईरादा पूर्वक तोड-फोड (ध्वस्त)करना | - | आजीवन | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | या ध्वस्त करने का प्रयत्न करना (यदि ऐसे प्रयास से किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे मृत्यु दण्ड ही दिया जाएगा।) | | या दस वर्ष तक का कठोर कारावास। | |
| 151 | आग या विस्फोटक पदार्थ या तोड-फोड द्वारा रेल सम्पत्ति का नूकसान या विनाश करना। | जुर्माना या | 5 वर्ष या | दोनो दण्ड। |
| 152 | रेल द्वारा यात्रा करने वाले व्यक्तियों को जानबूझकर चोट पहुँचाना या ऐसा प्रयास करना। | - | आजीवन या दस वर्ष | - |
| 153 | रेल द्वारा यात्रा करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा को जानबूझकर किए गए कार्य या लोप द्वारा संकट में डालना। | - | 5 वर्ष | - |
| 154 | रेल द्वारा यात्रा करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा को उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण कार्य या गलती से संकट में डालना। | जुर्माना या | 1 वर्ष या | दोनों दण्ड। |
| 155 | (1) आरक्षित कक्ष में प्रवेश करना या<br>(2) अनारक्षित कक्ष में किसी के कानूनी प्रवेश को रोकना या उसका विरोध करना। | 500/-<br>200/- | -<br>- | -<br>- |
| 156 | रेलगाड़ी की छत, सीढ़ियों, इंजन या किसी भाग पर यात्रा करना। | 500/- या | 3 माह या | दोनों दण्ड। |
| 157 | पास या टिकट में फेरफार करना या उसके रूप में परिवर्तन करना। | 500/- या | 3 माह या | दोनों दण्ड। |
| 159 | रेल सेवकों आदि के निर्देशों को वाहनों के ड्राइवरों या कंडक्टरों द्वारा अवहेलना (न मानना)। | 500/- या | 1 माह या | दोनों दण्ड। |
| 160 | (1) किसी ऐसे समतल क्रासिंग फाटक को खोलना जहाँ कोई व्यक्ति नियुक्त हो।<br>(2) किसी ऐसे समतल क्रासिंग फाटक को तोडना जहाँ कोई व्यक्ति नियुक्त हो। | -<br>- | 3 वर्ष<br>5 वर्ष | -<br>- |
| 161 | बिना गेटकिपर वाले समतल क्रासिंग फाटक को असावधानी या लापरवाही से पार करना। | - | 1 वर्ष | - |
| 162 | महिलाओं के लिए आरक्षित किसी सवारी डिब्बे या अन्य स्थान में प्रवेश करना। | 500/- | - | पास या टिकट जब्त होगा। |
| 163 | माल का झूठा वर्णन देना। | 500/- रु. प्रति क्विंटल | - | - |
| 164 | खतरनाक माल को विधिविरूद्ध रूप से रेल पर लाना।(नूकसान का जिम्मेदार होगा) | 1000/- या | 3 वर्ष या | दोनों दण्ड। |
| 165 | घृणाजनक माल को विधिविरूद्ध रूप से रेल पर लाना।(नूकसान का जिम्मेदार होगा) | 500/- | - | - |
| 166 | रेल प्रसाशन द्वारा लगाए गए किसी नोटिस बोर्ड या सार्वजजिक सूचनाओं को नूकसान पहुँचाना। | 500/- या | 1 माह या | दोनों दण्ड। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 167 | धूम्रपान करना। | 100/- | - | - |
| 172 | यदि कोई रेल सेवक ड्युटी पर होते हुए नशे की हालत में होगा। | 500/- या | 1 वर्ष या | दोनों दण्ड। |
| 173 | प्राधिकार के बिना रेलगाड़ी, आदि का परित्याग कर देना। | 1000/- या | 2 वर्ष या | दोनों दण्ड। |
| 174 | रेलगाड़ी आदि के चलने में बाधा डालना (रेल सेवक द्वारा जो ड्युटी पर हो या नहो अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा। | 2000/- या | 2 वर्ष या | दोनों दण्ड। |
| 175 | नियम या आदेश कि अवज्ञा करके अथवा उतावलेपन या लापरवाहि से रेल सेवक द्वारा ड्युटी पर रहते हुए, व्यक्तियों की सुरक्षा को संकट उत्पन्न करना। | 1000/- या | 2 वर्ष या | दोनों दण्ड। |
| 176 | समतल क्रासिंग में बाधा डालना :- यदि कोई रेल सेवक अनावश्यक रूप से-<br>(a)किसी चलस्टाक को ऐसे स्थान के आर-पार खड़ा रहने देगा जहां रेल किसी लोक मार्ग को समतल पार करती है, या<br>(b)समतल क्रासिंग को जनता के लिए बंद रखेगा | 100/- | - | - |

# सम्मन

**[रेलवे (द्वितिय संशोधन)अधिनियम, 2003 की धारा 180(B)(i) के तहत सम्मन]**

नाम :-.........................................................................................................
.........................................................................................................

पता :- .........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................

जहां तक धारा 179(2) रेल अधिनियम(संशोधित)2003 के अन्तर्गत जाँच के दौरान उपलब्ध तथ्यों के आधार है और जहाँ तक मैं आपकी हाजिरी उस जाँच के दौरान -

(i) साक्ष्य देने के लिए
(ii) किसी दस्तावेल को पेश करने के लिए
(iii) मध्यस्थता के लिए
(iv) बयान दर्ज करने के लिए

-आवश्यक समझता हूं , अतः धारा 180(B)(i) रेलवे (द्वितिय संशोधन) अधिनियम, 2003 के तहत अधिकृत अधिकारी के तहत आपको नीचे लिखे स्थान पर मेरे समक्ष उपरोक्त कार्य हेतु उपस्थित होने के लिए सम्मन किया जाता है, दिनांक.........................को समय................. बजे।

आपको चेतावनी दी जाती है कि इस सम्मन के अनुपालनर में बिना किसी युक्तियुक्त या पर्याप्त कारण के आपके उपस्थित नहीं होने पर आपके विरूद्ध धारा 174(IPC) और धारा 180(G) रेलवे (द्वितिय संशोधन) अधिनियम, 2003 के तहत अभियोजन चलाया जा सकता है।

तारीख :-......................

मुहर :-......................

प्रभारी अधिकारी,
आर.पी.एफ. पोस्ट,
.....................
.....................

उपस्थित होने का स्थान:- ........................................
........................................
........................................